



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272939  
CG-DL-E-29052026-272939

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 376]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

सा.का.नि. 417(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप से, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने हेतु प्रारूप नियम भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उससे प्रभावित होने की संभावना रखने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 24 मार्च, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (आठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 115ज का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 125ड के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"125ड. द्रवित अथवा संपीडित गैसीय हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानों के प्रकार का अनुमोदन .- (1) द्रवित अथवा संपीडित गैसीय हाइड्रोजन द्वारा संचालित एम तथा एन श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन यानों के प्रकार अनुमोदन हेतु सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय- समय पर यथासंशोधित एआईएस 195:2023 के अनुसार होंगी:

परंतु यह कि आंतरिक दहन इंजन यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएस 16061:2021 के अनुसार होंगे।

(2) द्रवित अथवा संपीडित गैसीय हाइड्रोजन द्वारा संचालित सन्निर्माण उपस्कर यानों के आंतरिक दहन इंजन यानों के प्रकार अनुमोदन हेतु सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय- समय पर यथा-संशोधित एआईएस 195ए:2024 के अनुसार होंगी:

परंतु यह कि आंतरिक दहन इंजन यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएस 16061:2021 के अनुसार होंगे।

125डक. संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन कोशिका (सेल) पर चलने वाले यानों के प्रकार का अनुमोदन.- (1) संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन कोशिका (सेल) पर चलने वाले एम श्रेणी और एन श्रेणी के मोटर यानों के प्रकार के अनुमोदन हेतु सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय- समय पर यथासंशोधित एआईएस 157:2020 के अनुसार होंगी:

परंतु यह कि ईंधन कोशिका (सेल) यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएसओ 14687 के अनुसार होंगे।

(2) संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन कोशिका (सेल) पर चलने वाले सन्निर्माण उपस्कर यानों के प्रकार अनुमोदन हेतु सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 157ए:2024 के अनुसार होंगी:

परंतु यह कि ईंधन कोशिका (सेल) यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएसओ 14687 के अनुसार होंगे।

(3) द्रवित अथवा संपीडित गैसीय हाइड्रोजन द्वारा संचालित एल श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन तथा संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन कोशिका (सेल) यानों के प्रकार के अनुमोदन हेतु सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 206:2024 के अनुसार होंगी:

परंतु यह कि ईंधन कोशिका (सेल) तथा आंतरिक दहन इंजन यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश, यथास्थिति, आईएस 14687 अथवा आईएस 16061:2021 के अनुसार होंगे।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2026-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, उपधारा (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 364(अ), तारीख 13 मई, 2026 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2026

**G.S.R. 417(E).**— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 202(E) dated the 20th March, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24<sup>th</sup> March, 2026;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein referred to as the said rules), rule 115-J shall be omitted.

3. In the said rules, for rule 125M, the following rules shall be substituted, namely: -

**“125M. Type approval of liquid or compressed gaseous hydrogen internal combustion engine vehicles.-** (1) The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine vehicles of M and N categories powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 195:2023 as amended from time to time:

Provided that the hydrogen fuel specifications for internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021.

(2) The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine vehicles of Construction Equipment Vehicles powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 195A:2024, as amended from time to time:

Provided that the hydrogen fuel specifications for internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021.

**125MA. Type approval of vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell.-** (1) The safety and procedural requirements for type approval of motor vehicles of Category M and Category N, running on compressed gaseous hydrogen fuel cell shall be in accordance with AIS 157:2020, as amended from time to time:

Provided that the hydrogen fuel specification for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687.

(2) The safety and procedural requirements for type approval of the Construction Equipment Vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell shall be in accordance with AIS 157 A:2024, as amended from time to time:

Provided that the hydrogen fuel specification for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687.

(3) The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine and compressed gaseous hydrogen fuel cell vehicles of Category L powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 206:2024, as amended from time to time:

Provided that the hydrogen fuel specifications for fuel cell and internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 14687 or IS 16061: 2021 as applicable.”

[F. No. RT-11028/02/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. 364(E) dated the 13<sup>th</sup> May, 2026.